न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 47 / 2018

1. श्रीमती शान्ति देवी स्त्री भीवाराम जाति नाई निवासी भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू।
– वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
–प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1. श्री विक्रम ओला –वादिया की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी (जी.ए.)–राज्य सरकार की ओर से

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 18.01.2019

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन सरहद राजस्व ग्राम भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू में गत खसरा न. 164 जिसके हाल खसरा न. 399 तादादी 0.21 हैक्टर स्थित है। उक्त जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का पहले खातेदार वादीया के पति भीवाराम जाति नाई निवासी भीमसर था। उक्त भीवाराम का देहान्त दिनांक 03.09.2013 को हो चुका है। उक्त भीवाराम के देहान्त के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार मे वादीया को प्राप्त हुई। यह कि पुराने समय से ही यह जमीन खाता संख्या 297 हाल खसरा न. 399 हमारे कब्जे काश्त में रही है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी जाच एव सक्षम न्यायालय के आदेश के जमाबन्दी में गलत रूप से जमीन जेर बहस गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी जबकि जमीन जेर बहस का लगान कायम है इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों को गैर खातेदारी में जमीन गैर खातेदारी दर्ज नही करना चाहिये था जमीन जेर बहस खातेदारी मे ही दर्ज करनी चाहिये थी गैर खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किया गया जो काबिले दुरूस्त है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का पहले वादीया को पता नही था माह दिसम्बर 2017 मे जमीन जेर बहस के राजस्व रिकार्ड की जब नकल प्राप्त की तब वादीया को गलत राजस्व रिकार्ड का पता चला तथा गैर खातेदारी तथा खातेदार अंकन के गलत राजस्व रिकार्ड का पता चला तथा गैर खातेदारी तथा खातेदार अंकन के गलत अंकन का पता चला तो वादीया को जमीन जेर बहस का रिकार्ड वाद की रिलीफ के मुताबिक दुरूस्ती बाबत प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी इसलिये मौजुदा वाद पत्र अदालत हाजा मे पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त दावा हाजा के लिये वाद कारण को वाद पत्र की धारा 4 मे वर्णित अनुसार अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। उक्त प्रतिवादी लोक सेवक है कानून से लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व 80.1 जा0दी0 के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है यदि प्रतिवादी को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो दावा की नोयत ही बदल जायेगी वादीया का दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये न्यायालय श्रीमान की इजाजत से बिना दो माह पूर्व का नोटिस दिये, दावा

पेश किया जा सकता है इसलिये धारा 80.2 जा0दी0 के तहत बिना दो माह पूर्व का नाटिस दिये दावा पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायाचित है। उक्त दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व तृतीय अनुसुची के क्रमांक 5 के तहत अन्दर मियाद है। उक्त वाद वादीया डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न. 399 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम भीमसर तहसील व जिला झुंझुनू मे वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जावे तथा जमीन जैर बहस के रिकार्ड मे गैर खातेदार शब्द की बजाय खातेदार शब्द दुरूस्त किया जावे। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को मय प्रति दावा के वास्ते जवाबदेही चाही गई। प्रतिवादी न. 1 पैरोकार सरकार ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2018/2640 दिनाक 14.09.2018 को जवाब पेश किया कि ग्राम भीमसर मे वर्तमान जमांबदी सम्वत् 2074–2077 के खाता नम्बर 71 के अनुसार खसरा न. 619 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा 638 रकबा 0.12 हैक्टर शान्ति देवी पत्नी भींवाराम, बनवारी पुत्र मगलाराम, ओमप्रकाश, मुकेश, सजंय पिता हनुमानाराम, रमेश कुमार, सुभाष, मनोज पिता हरी किशन, सुरेशचन्द्र पिता जगदीश, जुगल किशोर, फुलचन्द पिता रामकुमार वर्तमान मे उक्त खसरा पर उक्त वादीया के पूर्वजो से लेकर आज तक बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात वादीया ने अपने कब्जे की ताहिद मे साक्ष्य मे अपना स्वयं का शपथ–पत्र व राकेश पुत्र बनवारी का शपथ–पत्र पेश किया। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर समस्त राजस्व रिकार्ड व जवाब दावा तहसीलदार का गहनता से अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पहले वादीया के पूर्वजों से लेकर आज तक कब्जा काश्त होना जाहिर है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–2016 व 2020 से 2021 मे कॉलम न. 6 मे भींवाराम पुत्र मंगला के नाम से दर्ज रिकार्ड है व सरपंच ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा जारी नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.05.2016 का प्रस्ताव सर्व सम्मति द्वारा पारित किया गया कि खसरा न. 619 व 638 से मदन सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत का नाम पृथक कर वर्तमान खातेदार का नाम दर्ज किया जावें। कब्जा काश्त की ताहिद होने पर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत वादीया उक्त कब्जा शुदा भूमि को दुरूस्त कराने का अधिकारी होना न्याय संगत है। परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग कमांक प. 6(7)राज.–4/7712 दिनांक 10.01.2013 जयपुर के आदेशानुसार इस विभाग के आदेश कमांक 6(7)राज–4/7715 दिनांक 16.10.2001 के कम मे सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि भूमि हेतु किये गये अतिकमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा विभागिय सम सख्यक आदेश कमांक प.6(7)राज–4/7712 दिनांक 10.01.2008 जारी कर दिनांक 15.07.1994 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 किया गया। उपर्युक्त के संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय नजीरे वादीया द्वारा प्रस्तुत की जो सन् 1987 आर.आर.डी. पेज नम्बर 202 राजस्थान हाई कोर्ट तथा आर.आर.डी. सन 2001 पेज नम्बर 411 रेवेन्यू बोर्ड के अनुसार उपर्युक्त दोनो न्यायिक दृष्टान्तों मे राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय अर्थात सम्वत् 2012 में किसी कृषि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व व उक्त भूमि को काश्त कर रहा है तो इस आधार पर उसे भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। धारा 15, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कब्जाधारी व्यक्ति काश्तकार की श्रेणी मे आता है। उसे काश्तकार खातेदार घोषित किया जा सकता है। वाद ग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा कदीमी समय से

होकर आज तक बदस्तूर होना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सभी परिपत्र व माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस वाद पर पूर्णतया चस्पा होने पर वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमसर मे स्थित कृषि भूमि हाल खसरा न. 399 रकबा 0.21 हैक्टर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के कॉलम न. 4 भींवाराम पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. देह में गैर खातेदारी शब्द व नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 05.01.2016 विरासत में गैर खातेदारी का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबन्दी प्रविष्टि खातेदारान बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद्र करें। खर्चा वादीया अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/19

(अलका बिश्नोई)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
झुंझुनू मत

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अलका बिश्नोई (आर0ए0एस0)

उनवान

श्रीमती शान्ति देवी बनाम राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

मु.नं. 47 / 2018

निर्णय दिनांक: 18.01.2019

वादीया की ओर से वकील उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 18.01.2019 को श्रीमती अल्का बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीया स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमसर मे स्थित कृषि भूमि हाल खसरा न. 399 रकबा 0.21 हैक्टर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के कॉलम न. 4 भींवाराम पुत्र मंगलाराम जाति नाई सा. देह में गैर खातेदारी शब्द व नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 05.01.2016 विरासत में गैर खातेदारी का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबन्दी प्रविष्टि खातेदारान बदस्तूर। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करें। खर्चा वादीया अपना स्वयं वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	45	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेह्नतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	47	कुल	0

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू